

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 04.07.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/210
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00209
CICOM/R/2016/00325

अपीलकर्ता : श्री राकेश कुमार
मकान नं. जी-1/561, अर्मापुर इस्टेट,
कानपुर - 208009.

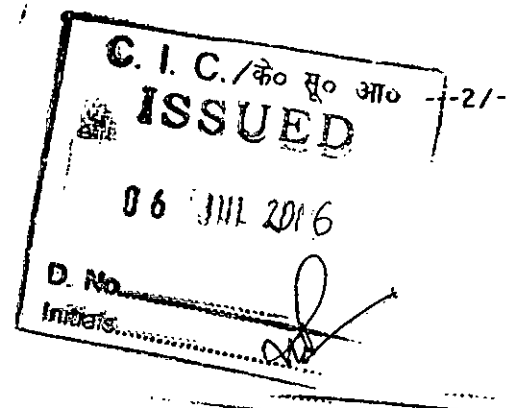
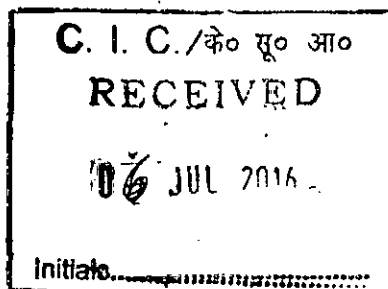
निर्णय की तारीख : 04.07.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	10.03.2016, 21.03.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी.के. शर्मा, श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.04.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	134444/11.05.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	272/12.05.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से विभिन्न आयोग में दाखिल की गई विभिन्न द्वितीय अपीलों से संबंधित 7 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। श्री योगेश कुमार सिंहल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 5 एवं 6 श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी को तथा बिंदु सं 3 एवं 4 उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय को एवं बिंदु सं. 7 श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन अग्रसारित किया गया।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री) व जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 5 एवं 6 के तहत सूचना प्रदान की गई, जिसमें से बिंदु सं. 5 एवं 6 के तहत प्रदान की गई सूचना संतोषप्रद नहीं है तथा उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा बिंदु सं. 3 एवं 4 के तहत कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है, बिंदु सं. 7 के तहत श्री वी.के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है। तदुसार बिंदु सं. 5 एवं 6 के लिए श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय व बिंदु सं. 5 एवं 6 के लिए श्री यू.सी.जोशी वर्तमान उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री) व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को पूर्ण व स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।



4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण प्रथम अपील निपटाने में हुई देरी के लिए खेद है।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री यू.सी. जोशी, उप-पंजीयक (सेन्ट्रल रजिस्ट्री) व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
3. श्री एस.सी. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री वी.के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Recd on
6/7/16
cm

sh
Rudras
06/7/16